वि अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या

अभिरूचि की अभिव्यक्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि शासनादेश संख्या 150/आठ-1-18-58बजट/2018 दिनांक 23 जनवरी, 2019 में दिये गये निर्देशों के क्रम में अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या के अन्तर्गत सौर्य पॉवर प्लान्ट्स के माध्यम से सोलर हाई मास्ट लाईट (लीथियम आइन) 200 9.00 मीटर हाईट एवं सोलर डबल आर्म लाईट 400 अदद 7.00 मीटर हाईट हेतु आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा संचालित योजना (अवस्थापना मद योजना) द्वारा विकास प्राधिकरणों में मार्ग प्रकाश एवं पेयजल की व्यवस्था किये जाने हेतु आवश्यक व्यवस्था की पूर्ति किये जाने हेतु राज्य सरकार तथा नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) भारत सरकार द्वारा निर्धारित बेंच मार्क दरों के आधार पर तैयार की गई परियोजनाओं से संबंधित कार्य योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु कार्यदायी संस्थाओं का चयन हेतु मार्गदर्शी सिद्धान्तों का अनुसरण/अनुपालन करने वाली संस्थाओं से दिनांक 23.10.2019 तक आवेदन आमंत्रित किये जाते है। इच्छुक कार्यदायी संस्थाएं निर्धारित तिथि तक आवेदन कर सकती है।

नोट : मार्गदर्शी सिद्धान्त/नियम व शर्ते प्राधिकरण की वेबसाइट www.adaayodhya.in पर उपलब्ध है।

प्रभारी अधिशासी अभियन्ता
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या

1. कार्यदायी संस्थाओं के रूप में यूपी नेडा, राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के उपक्रम/निगमित निकाय/सहकारी समितियां आदि को नामित किया जा सकता है, जो भारत सरकार की नवीन एवं नवीनीकरण मंत्रालय (MNRE) के द्वारा सौर ऊर्जा के संयंत्रों के अधिष्ठापन हेतु चैनल पार्टनर के रूप में नामित हों एवं उनके द्वारा सौर ऊर्जा पावर प्लान्ट में प्रयुक्त होने वाली सामग्रियों में से कम से कम 01 उत्पाद का विनिर्माण कर रही हो, साथ ही साथ सौर ऊर्जा संयंत्रों में प्रयुक्तत होने वाली सामग्रियां भारत सरकार द्वारा निर्धारित गुणवत्ता एवं विशिष्टियों के अनुरूप हों एवं उनके द्वारा सौर ऊर्जा संयंत्रों में प्रयुक्त होने वाली सामग्रियां भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में प्रमाणित की गई हों।
2. चयनित की जाने वाली कार्यदायी संस्था के पास सौर ऊर्जा पॉवर प्लान्ट्स की स्थापना हेतु पर्याप्त अनुभवी तकनीकी विषय विशेषज्ञ होना आवश्यक है, जो सौर ऊर्जा पॉवर प्लान्ट्स की स्थापना हेतु पर्याप्त तकनीकी अनुभव रखते हो।
3. चयनित की जाने वाली कार्यदायी संस्था का विगत 03 वर्षों में सौर ऊर्जा संयंत्रों के अधिष्ठान में प्रतिवर्ष रू0 10.00 करोड़ अथवा विगत 03 वर्षों में कम से कम कुल रू0 30.00 करोड़ का टर्न ओवर होना चाहिए।
4. चयनित कार्यदायी संस्था को सौर ऊर्जा पॉवर प्लान्ट्स की स्थापना किये जाने के उपरान्त नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्धारित 05 वर्ष

व उससे अधिक अवधि के लिए बिना किसी अतिरिक्त सेण्टेज चार्ज के सौर ऊर्जा संयंत्रों पर वारंटी उपलब्ध कराये जाने हेतु तैयार हों।

5. ऐसी कार्यदायी संस्थाएं जो सौर ऊर्जा संयंत्रों के अधिष्ठापन हेतु निर्धारित न्यूनतम मूल्य तथा 05 वर्ष से अधिक वारंटी देने के लिए तैयार हो, उसे चयनित किये जाने में प्राथमिकता दी जा सकती है। इस प्रकार कार्यदायी संस्थाओं के चयन में अधिक वारंटी अवधि का होना भी एक मुख्य अवयव होगा।
6. चयनित की जाने वाली कार्यदायी संस्था को वारंटी अवधि के उपरान्त न्यूनतम एन्यूअल मेन्टीनेन्स चार्जेज के साथ आगामी 05 वर्षों के लिए निकाय से सौर ऊर्जा संयंत्र के रखरखाव हेतु अनुबंध करना होगा तथा इसके लिए एन्यूअल मेन्टीनेन्स चार्जेज की आवश्यक धनराशि निकाय को वहन करना होगा। इस आशय का अनुबंध पत्र शासन को प्रेषित की जाने वाली कार्ययोजना के साथ संलग्न करना होगा।
7. नगर पंचायतो/नगर पालिकाओं/विकास प्राधिकरणों में 200 नग सोलर हाई मास्ट लाइटों के अधिष्ठापन का अनुभव।
8. नगर पंचायतों/नगर पालिकाओं/विकास प्राधिकरणों में 400 नग सोलर लाइट डबल आर्म के अधिष्ठापन का अनुभव।